

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

सांकांनि० 715(अ):-केन्द्रीय सरकार, वन्य प्राणी (संरक्षण)
अधिनियम, 1972(1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 274(अ), तारीख
15 मई, 1973 के साथ प्रकाशित वन्य प्राणी (संयवहार और चर्मपूर्ण) नियम,
1973 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य प्राणी (संख्यवहार और चर्मपूर्ण) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वन्य प्राणी (संख्यवहार और चर्मपूर्ण) नियम, 1973 के नियम 4 के उपनियम (1) में, "सात दिन" के शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 1-11/79-एफ और वाई(डब्ल्यू एल)(iv)]

समर सिंह, संयुक्त सचिव,

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1973, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 274(E), dated the 15th May, 1973, namely :—

(1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1973, for the words "seven days", the words "thirty days" shall be substituted.

[No. 1-11/79-FRY(WL)(iv)]

SAMAR SINGH, Jt. Secy.